D.R.B. 318

Date 8-2-1983
☎ : 2879389

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति (मर्यादित) भोपाल

(म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत)

कोलार रोड, ग्राम इनायतपुर, मदर टेरेसा स्कूल के सामने, भोपाल

क्रमांक 02/2023 — दिनांक 05/07/2023

प्रति,

श्रीमान सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)
सहकारी संस्थायें जिला भोपाल
मध्य प्रदेश

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/लेव्ही/2023/27 दिनांक:- 03/07/2023

विषय :- संस्थाबत लेखा परीक्षा सहकारी वर्ष 2022-2023 के लिए संपरीक्षा शुल्क का उदगृहण।

महोदय,

निवेदन है कि संस्था का वर्ष 2022-2023 का अंकेक्षण टीप पारीत होकर संस्था को प्राप्त हो चुकी है। विभाग के निर्देशानुसारी (संपरीक्षा शुल्क राशि 550/- चालान क्रमांक 051/9999999/0425/07/23/000013 दिनांक 05/07/2023 राशि 550/- PAYTM(UPI)) के द्वारा जमा कर चालान की मूल प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

धन्यवाद्

संलग्न- 1.चालान की मूलप्रति।

लेखक / जांचक
कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)
सहकारिता, जिला-भोपाल (म.प्र.)
05/7/23

अध्यक्ष
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति
मर्यादित, भोपाल
रजि.क्रं. D.R.B/318 दि.08/02/1983

कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.) सहकारिता जिला भोपाल

(डी ब्लाक पुराना सचिवालय)

क्रमांक/अंके./लेव्ही/2023 /27

भोपाल दिनांक 3-7-23

आदेश

(प्रारूप एफ–नियम 50 का उपनियम (2) देखिये)

विषय :– संस्थागत लेखा परीक्षा सहकारी वर्ष 2022-2023 के लिये संपरीक्षा शुल्क का उदग्रहण।

मध्य प्रदेश सहकारी समितियों नियम 1962 के नियम 50–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं सतीश कुमार बाथम, सहायक आयुक्त (अंके), सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल संस्था राजहंस गृह निर्माण सह. संस्था मर्यादित भोपाल पंजीयन कमांक DRB 318 दिनांक 08.02.1983 के सहकारी वर्ष 2022-2023 की लेखा परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क. एफ 5–1–2015–पन्द्रह–1, भोपाल दिनांक 05 अगस्त 2015 के अनुसार रूपये 500/- (शब्दो में 500/(पाँच सौ रुपये मात्र) संपरीक्षा शुल्क निर्धारित करता हूँ।

कं.	संपरीक्षा वर्ष	आधारभूत राशि एवं उदग्रहण का आधार	संपरीक्षा शुल्क दर न्यूनतम /अधिकतम सीमा के अधीन	राशि
	2022-2023	11024/-	न्यूनतम	500/-
	योग			500/-

कृपया इस आदेश के प्रसारित होने की दिनांक से दो माह के भीतर लेखा शीर्ष '' 0425 सहकारिता 101 लेखा परीक्षक शुल्क'' के अन्तर्गत निकटम शासकीय कोषालय में निर्धारित राशि जमा कर कोषालयीन चालान की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। कृपया किसी अन्य लेखा शीर्ष में राशि जमा न करने की सावधानी रखें।

(सतीश कुमार बाथम)
सहायक आयुक्त (अंके)
सहकारी संस्थाऐं, जिला–भोपाल

भोपाल, दिनांक 3-7-23

क./अंके./लेव्ही/2019/ 27

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष/प्रशासक राजहंस गृह निर्माण... मर्यादित भोपाल की ओर पालनार्थ।
2. श्री श्री एल. चौहान (C.I.) प्रभारी अंकेक्षक की ओर भेजकर लेख है कि संस्था से सम्पर्क कर उक्तानुसार अंकेक्षण शुल्क राशि जमा कराकर चालान की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।

सहायक आयुक्त (अंके)
सहकारी संस्थाऐं, जिला–भोपाल

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	
Depositor/Dealer Name	RAJHARSH GRAH NIRMAN SAHKARI
Address	INAYATPUR KOLAR ROAD, OPP MOTHER TERESA SCHOOL, BHOPAL, Bhopal, Madhya Pradesh - 462042
District selected for Payment	Bhopal
Unique Registration Number (URN)	MPTURN050720230000543
Department and Office Name	Common Challan Entry, Co
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT042505072023000001	2022-04-01 to 2023-03-31	0425-00-101-0728 (Audit Fees-Audit Fees)	SBIN0006159042505072023875525	051/9999999 /0425/07 /23/000013	550.00

Total Amount(in figures)	550.00
Total Amount(in words)	Five Hundred Fifty Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	CPACWQBAT8
Scroll No	87551
Scroll Date	05/07/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	05/07/2023 10:51:36
Transaction Status	Success

कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.) सहकारिता जिला भोपाल

(डी ब्लाक पुराना सचिवालय)

क्रमांक/अंके./लेव्ही/2023 /27 भोपाल दिनांक 3-7-23

आदेश

(प्रारूप एफ–नियम 50 का उपनियम (2) देखिये)

विषय :– संस्थागत लेखा परीक्षा सहकारी वर्ष 2022-2023 के लिये संपरीक्षा शुल्क का उदग्रहण।

मध्य प्रदेश सहकारी समितियों नियम 1962 के नियम 50–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं सतीश कुमार बाथम, सहायक आयुक्त (अंके), सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल संस्था राजहर्ष गृह निर्माण सह. संस्था मर्यादित भोपाल पंजीयन कमांक DRB 318 दिनांक 08.02.1983 . के सहकारी वर्ष 2022-2023 की लेखा परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क. एफ 5–1–2015–पन्द्रह–1, भोपाल दिनांक 05 अगस्त 2015 के अनुसार रूपये 500/- (शब्दो में 500/(पांच सौ रुपये मात्र) संपरीक्षा शुल्क निर्धारित करता हूँ।

कं.	संपरीक्षा वर्ष	आधारभूत राशि एवं उदग्रहण का आधार	संपरीक्षा शुल्क दर न्यूनतम /अधिकतम सीमा के अधीन	राशि
	2022-2023	11024/-	न्यूनतम	500/-
	योग			500/-

कृपया इस आदेश के प्रसारित होने की दिनांक से दो माह के भीतर लेखा शीर्ष – '' 0425 सहकारिता 101 लेखा परीक्षक शुल्क'' के अन्तर्गत निकटम शासकीय कोषालय में निर्धारित राशि जमा कर कोषालयीन चालान की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। कृपया किसी अन्य लेखा शीर्ष में राशि जमा न करने की सावधानी रखें।

(सतीश कुमार बाथम)
सहायक आयुक्त (अंके)
सहकारी संस्थाऐं, जिला–भोपाल

क./अंके./लेव्ही/2019/ 27 भोपाल, दिनांक 3-7-23

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष/प्रशासक राजहर्ष गृह निर्माण ... मर्यादित भोपाल की ओर पालनार्थ।
2. श्री बी. एल. चौहान (C.I.) प्रभारी अंकेक्षक की ओर भेजकर लेख है कि संस्था से सम्पर्क कर उक्तानुसार अंकेक्षण शुल्क राशि जमा कराकर चालान की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।

सहायक आयुक्त (अंके)
सहकारी संस्थाऐं, जिला–भोपाल

अंकेक्षण वर्ष 2022–23

	प्रश्न	अंकेक्षक के उत्तर
1.	समिति का नाम पता पंजीकृत पता वर्तमान पता	राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल 17/16, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल मदर टेरेसा स्कूल, ग्राम इनायतपुर कोलार रोड, भोपाल
2.	पंजीयन क्रमांक तथा दिनांक	डी.आर.बी. /318, दिनांक 08.02.1983
3.	वर्ष जिसका अंकेक्षण किया जा रहा है वर्तमान वर्ष अंकेक्षक का नाम	बी.एल. छाबड़ा, सहकारी निरीक्षक, वर्ष 2022–23 आदेश/क्र./अंके./272, दिनांक 09.06.2023
4.	पूर्व अंकेक्षक का नाम व दिनांक	अवधेश पी.एस. बैस एण्ड कंपनी, एफ.आर.एन.–017889सी, मो.नं.9302322033 4, लाजपत भवन द्वितीय तल, एम.पी.नगर, जोन–1, भोपाल
5.	समिति किस प्रकार की है, (शिकमा, स्वामित्व, शिकमा सहभागीदारी, गृह निर्माण आदि) तथा, कौन–सा काम कर रही है?	गृह निर्माण।
6.	क्या समिति के पास म.प्र. सहकारी अधिनियम समिति की उपविधियां तथा पंजीयन का प्रमाण पत्र है?	पंजीकृत उपविधियाँ तथा पंजीयन प्रमाण–पत्र संस्था में उपलब्ध है।
7.	(अ) क्या समिति के पंजीयक द्वारा प्रेषित नवीन आदर्श उपविधियाँ अंगीकृत कर ली है, नहीं तो टीप दें।	आदर्श उपविधियों में पंजीकृत है।
	(ब) अधिकृत अंशपूजी (संस्था) एवं अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या	अधिकृत अंशपूँजी दस लाख रूपये अधिकतम सदस्य संख्या 3000 है।
8.	सदस्य निम्न जानकारी दीजिये :–	

		संस्था (व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या)	प्रदत्त अंशपूंजी (व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या)	धारित अंशों की संख्या (व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या)
1.	वर्ष के प्रारंभ में 01.04.2022	2589	296200	3232
2.	वर्षान्तर्गत भर्ती किये गये	–	–	–
3.	वर्षान्तर्गत अलग	–	–	–
4.	वर्षान्त पर 31.03.2023	2589	296200	3232

(क)	क्या नये सदस्य की भर्ती नियमानुसार की गई है तथा उनका नाम सदस्य पंजी में दर्ज किया गया है? नये सदस्य की उम्र एवं अन्यत्र प्लाट न होने की पुष्टि की है।	**अंकेक्षण वर्ष में नवीन सदस्यों की भर्ती नहीं की गई है।**
(ख)	क्या नये सदस्यों के लिए प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है यदि है तो नये सदस्य की भर्ती की आवश्यकता प्लाट उपलब्धता के अनुकूल है तथा कार्यकारिणी समिति से उसका अनुमोदन कराया गया है?	**उपविधि अनुसार प्रवेश शुल्क 50/– रूपये निर्धारित है।**
(ग)	क्या हर एक सदस्य ने वर्तमान उपनियम से व उनमें किये गये बाद के संशोधनों से बाध्य रहने संबंधी घोषणा–पत्र दे दिया है? (नवीन आदेश उपविधि अनुसार प्रमाण–पत्र)	**अधिकांश सदस्यों से घोषणा प्राप्त किये गये है।**
(घ)	क्या सभी सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके है? यदि नहीं तो कितने सदस्यों को प्रमाण पत्र जारी हुए है?	**अंश प्रमाण–पत्र जारी नहीं किये गये हैं। सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र शीघ्र जारी कर वितरित करें।**
(ड)	क्या सभी सदस्यों ने नियमानुसार अपने मनोनीत व्यक्तियों के नाम दे दिये हैं, क्या सदस्यता आवेदन पत्र पूर्ण भरे हैं?	**जी हाँ मनोनीत व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं।**
(य)	क्या आपने समिति में पहुंचते ही नगदी सिल्क की जांच की है? यदि नहीं तो क्यों? फिर कब जांच की? कितनी सिलक बाकी थी तथा क्या वह रोकड़ बही में दर्शाई गई बाकी सिल्क से मिलती थी। यदि नहीं तो कितना फर्क था? कैश बुक अंकेक्षण के समय तारीख पूर्ण कराई गई है। अथवा नहीं।	**नगदी सिलक की जांच की गई जो सही पायी गई।**
(र)	बाकी सिल्क किसके पास रहती है तथा समिति को उपविधियों के अनुसार उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या समिति ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया है।	**अंतिम सिलक संस्था अध्यक्ष के पास रहती है। इसके लिये संस्था अध्यक्ष पूर्ण उत्तरदायी है।**
9.	लेने–देन होने पर क्या प्रत्येक दिन की रोकड़ बही बंद की गई है? तथा क्या बाकी सिलक अंकों तथा शब्दों में लिखी गई है और फिर सचिव तथा खजान्ची/अध्यक्ष अथवा मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किये गये है? इस संबंध में स्पष्ट आपत्ति दाखिल करें?	**प्रत्येक लेन–देन के समय कैशबुक लिखी गई है एवं संस्था अध्यक्ष के हस्ताक्षर कराये गये है। बाकी सिलक केवल अंकों में लिखी गई है। शब्दों में भी शेष सिलक लिखें।**
10.	जो कर्मचारी स्थाई तौर पर अथवा कभी–कभी नगदी सिलक रखता है, क्या उससे पर्याप्त प्रतिभूति ली गई है।	**कोई कर्मचारी संस्था में कार्यरत नहीं है।**
	(अ) कर्मचारी व्यय संस्था कार्य को देखते हुए औचित्य पूर्ण है या नहीं।	**अंकेक्षण वर्ष में कर्मचारी व्यय नहीं किया गया है।**

11.	संस्था द्वारा आवास निर्माण हेतु क्रय की गई। लींज पर लीं गई भूमि का विवरण दीजिये। इस संबंध में स्पष्ट विवरण पत्रक क्रमांक 12 से 16 तक निर्धारित प्रारूप में भरकर दें। (प्रारूप संलग्न है)	भूमि का विवरण प्रपत्र क्रमांक–३ में है। प्रपत्र (1 से 16 तक) निर्धारित प्रारूप में टीप के संलग्न है।
12	(अ) क्या संस्था द्वारा सदस्यों को प्लाट आवंटन हेतु वरियता सूचीं तैयार की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई है, एवं अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार कर, आम सभा में पारित करवा लिया है।	सूचीं संलग्न है। पूर्व वर्षों में विभिन्न आकारों के भूखण्ड आवंटित किये गये हैं।
	(ब) कितने भूखण्ड सदस्यों को आवंटित कर दिये गये है।	विगत वर्षों में कुल 2505 भूखण्ड आवंटित किये गये है तथा 4 भूखण्ड आवंटन योग्य नहीं है।
	(स) आवंटित भूखण्डों की राशि जिन सदस्यों से प्राप्त की गई है, तथा उनके नाम पर रजिस्ट्रियाँ करवा दी गई है।	पूर्व वर्षों में जिन सदस्यों ने पूरी राशि जमा कर दी है उनके पक्ष में भूखण्डों का पंजीयन करवा दिया गया है।
13.	क्या संस्था ने म.प्र. आवास संघ की सदस्यता ग्रहण की या नहीं यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।	म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल की सदस्यता ग्रहण की गई है।
14.	क्या समिति ने प्रत्येक सदस्य से ऋण प्रार्थना पत्र आवास संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप से प्राप्त किये है।	संस्था के किसी भी सदस्य द्वारा ऋण नहीं प्राप्त किया गया है।
	आवास संघ को भेजे ऋण प्रकरण संस्था के पूर्व से सदस्य के थे या नवीन बनाये सदस्यों के?	संस्था के किसी भी सदस्य द्वारा ऋण नहीं प्राप्त किया गया है।
15.	(अ) कितने सदस्यों के भूखण्डों पर आवास भवन बन चुके है। निर्माण न होने के क्या कारण है। इसके लिए दायित्व संस्था का है या सदस्यों का है स्पष्ट कीजिये।	उपरोक्तानुसार।
	(ब) कितने आवास गृहों के पूर्णता प्रभाण–पत्र प्राप्त कर उन्हें आवास ऋण के विरूद्ध बंधक रख लिया गया है? स्पष्ट जानकारी प्राप्त करें।	उपरोक्तानुसार।
	(स) कितने सदस्यों ने स्वयं वित्तीय साधन से आवास गृह निर्माण किये है।	निर्मित भवन – 2485 निर्माणाधीन भवन – 20 नींव नहीं खोदी गई – –निल– कुल योग – 2505
	(द) कितने सदस्य अदत्त ऋणों की किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है।	संस्था द्वारा ऋण वितरण नहीं किया गया है।
	(इ) क्या इस संस्था कोई भूमि/भवन संबंधी विवाद चल रहा है? यदि हाँ, तो विवरण दीजिए। संस्था में यदि कानूनी विवाद हो तो संबंधित मुकदमें का प्रकरण क्रमांक कोर्ट का नाम भी दें, एवं उपविधि तथा विधान अनुसार अनुमति प्राप्त की है?	संस्था अध्यक्ष द्वारा दी गई जानकारी अनुसार भूमि / भवन सम्बन्धी कोई विवाद किसी न्यायालय में प्रचलित / लंबित नहीं है।

16	प्रारंभ से कुल उधार ऋण ग्रहण की राशि तथा प्रत्येक कर्ज की समान किस्तों की राशिमय भुगतान के निम्न प्रारूप में दीजिये।	**आलोच्य वर्ष में संस्था ने कहीं से भी ऋण नहीं लिया है।**
17.	संस्था उपविधि क्रमांक (20) के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत ऋण तथा अमानतों का परीक्षण कर टीप दें	**आलोच्य वर्ष में संस्था ने कहीं से भी ऋण नहीं लिया है।**
18.	ऋण/अमानत प्रदत्त अंश पूजी रक्षित निधि में से संचित हानि को घटाने के बाद शेष निजी निधि के 12 गुना तक की सीमा में है या नहीं।	**उपरोक्तानुसार।**
19.	(अ) संस्था की उपविधि (74) के अनुरूप आवश्यक नियम पंजियां रखी है :-	
	(1) सदस्य पंजी, (2) सदस्यता/त्याग पत्र आवेदन पंजी, (3) कैश बुक, (4) कार्यवाही पंजी, (5) ऋण खाता पंजी, (6) आवक पंजी, (7) जावक पंजी, (8) डाक टिकिट पंजी, (9) स्टेशनरी पंजी, (10) रसीद कट्टा, (11) भूखण्ड निर्धारित पंजी, (12) भूखण्ड आवंटन पंजी। ये पंजियाँ रखना अनिवार्य होगा एवं लो.नि.वि. के मैनुअल अनुसार विभिन्न किताबें रखी है।	**(1) सदस्य पंजी, (2) कैश बुक, (3) जनरल लेजर (4) कार्यवाही पंजी, (5) रसीद कट्टा, (6) आवक जावक पंजी, (7) स्टेशनरी पंजी, (8) डाक टिकिट पंजी, (9) भूखण्ड निर्धारण पंजी, (10) भूखण्ड आवंटन पंजी उपरोक्तानुसार पंजीयां रखी गई हैं।**
	(ब) क्या सभी सदस्यों द्वारा भूखण्ड आवंटन के पश्चात नियमानुसार 08 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण किया गया है? यदि नहीं तो संस्था द्वारा ऐसे सदस्यों को आवंटित भूखण्डों के निरस्ती संबंधी क्या कार्यवाही की गई है? सूची संलग्न की जावे।	**जी हाँ।**
20.	समिति के कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार दीजिए। क्या वे पर्याप्त है? क्या समिति ने अपने कर्मचारियों से पर्याप्त प्रतिभूति ले ली है? क्या कर्मचारियों पर किया जा रहा व्यय उचित है या अनुचित?	**संस्था में एक भी वैतनिक कर्मचारी कार्यरत नहीं है।**
21 (अ)	समिति का संचालक मण्डल कब चुना गया था? संचालकों के नाम दीजिए। निर्वाचन अधिकारी का नाम –	संचालक मण्डल का निर्वाचन विशेष आमसभा में दिनांक 09.08.2019 को एवं अध्यक्ष / उपाध्यक्ष दिनांक 13.08.2019 को निर्वाचन श्री बृजेश चौहान, निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्पन्न कराया गया है।

		1 श्री रूप सिंह — अध्यक्ष 2 श्री नेलशन जोन — उपाध्यक्ष 3 कु. नेहा सिकरवार — उपाध्यक्ष 4 श्री पीटर बेक — संचालक 5 श्री बी.एस. बाजपेयी — संचालक 6 श्री सत्यभान टेलर — संचालक 7 श्री प्रमोद — संचालक 8 श्री जेम्स एम.जे. — संचालक 9 श्री विनोद प्रजापति — संचालक 10 श्री अंकित मीना — संचालक 11 श्रीमती सुषमा मिश्रा — संचालक
	प्रतिनिधि जिला सहकारी संघ 1.जिला सहकारी संघ – 2.जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक – 3.म.प्र. राज्य सह. आवास संघ –	**श्री पीटर बेक** – **श्री बी.एस. बाजपेयी**
21 (ब)	क्या संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि के अनुसार बराबर होती है? वर्ष में संचालक मण्डल की कितनी बैठकें हुई है, दिनांक दीजिए। क्या बैठक की कार्यवाहियाँ नियमानुसार लिखी गई है?	**बैठकें नियमानुसार की गई है।** 19.04.2022, 11.05.2022, 20.06.2022, 18.07.2022, 15.08.2022, 14.09.2022, 23.10.2022, 08.11.2022, 18.12.2022, 17.010.2023, 25.02.2023, 31.03.2023
(स)	क्या संचालक मण्डल में कोई स्थान रिक्त है? यदि है तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई?	**संचालक मण्डल में कोई स्थान रिक्त नहीं है।**
(द)	संचालक मण्डल के कितने सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण उपविधियों के अनुसार संचालक रहने के अयोग्य हो गए है? उनमें से कितनों को अलग कर उनके स्थान पर नई नियुक्तियाँ कर ली है।	**ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।**
(इ)	क्या कोई संचालक अनुपस्थिति के अतिरिक्त दूसरी उपविधियों के अन्तर्गत पद के अयोग्य कर दिया है।	**जी नहीं।**
(फ)	क्या कोई उप–समितियां जैसे योजना उप समिति, नमूना उप–समिति, कार्य उप– समिति आदि बनाई गई है? यदि बनाई गई है तो क्या वे बराबर काम कर रही है? क्या वे उपसमितियों के अनुसार बनाई गई है? यदि हाँ?	**कोई उपसमिति नहीं बनाई गई है।**
	क्या संचालक मण्डल से समिति के मुख्य कर्मचारियों के कर्त्तव्य एवं अधिकारों के लिए कोई सहायक नियम बनाये हैं? क्या इस संबंध में आपका कोई सुझाव है?	**सहायक नियम नहीं बनाये है।**
22.	(अ) क्या ऊपर वर्णित अनियमितताओं के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य सहकारी कानून नियम व समिति के उपनियमों के विरूद्ध हुए है। यदि हाँ तो उल्लेख कीजिए।	**अंकेक्षण आक्षेप एवं सुझाव पृथक से संलग्न है।**

	(ब) संस्था में हुई गंभीर अनियमितताओं के संबंध में आपने विशेष प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है? यदि नहीं तो क्यों?	**ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।**
23.	**भूमि क्रय :**	
	1. क्या संस्था द्वारा भूमि क्रय करने के पूर्व नगर भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न शासकीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये है?	**संस्था द्वारा पूर्व में क्रय की गई भूमि पर धारा–20 प्रभावशील नहीं थीं।**
	2. भूमि का उपयोग मास्टर प्लान में आवासीय है।	**आवासीय है।**
	3. विकास प्राधिकरण/गृह निर्माण मण्डल नगर निगम से अनापत्ति प्राप्त की है या नहीं।	**अनापत्ति प्राप्त की गई है।**
	4. क्या नवीन उपविधि क्रमांक (41) का उल्लंघन तो नहीं हुआ है?	**जी नहीं।**
24.	**कालोनीं का विकास :**	
	1. संस्था द्वारा भ्रष्ट आचरण नियम 1982 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर से प्राप्त लाभांशों का क्रमांक, दिनांक एवं जिस भूमि के लिए दिया उसका स्पष्ट विवरण।	**क्रमांक/ 9/रीडर/85 दिनांक 04.06.85**
	2. कालोनाइजर्स लायसेंस के नियमावली के नियम 10 के अन्तर्गत फार्म 4 में अनुमति प्राप्त की है या नहीं।	**69/रीडर/कालो./89/भोपाल, दिनांक 21.12.89** **97/ बी./121 / 89–90/ भोपाल, दिनांक 20.12.90** **308/ रीडर/ कालो/ 88/ भोपाल,** **दिनांक 23.06.1988** **1/रीडर/90/ भोपाल दिनांक 02.01.1990**
	3. विकास कार्य को यदि ठेके से कराया गया है तो क्या उसके पूर्व विकास प्राधिकरण गृह निर्माण मण्डल में अनापत्ति प्राप्त की थीं।	**संस्था द्वारा अंकेक्षण वर्ष में विकास कार्य नहीं कराया गया है।**
	4. विकास कार्य कराने के पूर्व प्रबंध समिति ने तकनीकी उपसमिति गठित की है, या नहीं, नहीं तो स्पष्ट जानकारी दें, तकनीकी जानकारी प्राप्त की है या नहीं।	**संस्था द्वारा अंकेक्षण वर्ष में विकास कार्य नहीं कराया गया है।**
	5. विकास कार्य की निविदायें पेपर द्वारा प्रकाशित की या नहीं? इस संबंध में स्पष्ट अभिमत स्पष्ट करें।	**संस्था द्वारा अंकेक्षण वर्ष में विकास कार्य नहीं कराया गया है।**
	6. क्या संस्था के विकास कार्य का निविदा में स्पष्ट एवं विस्तृत विवरण दिया था? उनके मूल्य की तुलना प्रचलित लो.नि.वि., सी.एम.आर. करके मूल्यांकन करें।	**संस्था द्वारा अंकेक्षण वर्ष में विकास कार्य नहीं कराया गया है।**
	7. निविदायें सीलबंद प्राप्त की थी या नहीं?	**संस्था द्वारा अंकेक्षण वर्ष में विकास कार्य नहीं कराया गया है।**
	8. निविदायें स्वीकृत करने की दिनांक की कार्यवाही स्पष्टतः अवलोकन करें। क्या उसमें लोक निर्माण विभाग एवं शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं?	**संस्था द्वारा अंकेक्षण वर्ष में विकास कार्य नहीं कराया गया है।**

	9. वर्क आर्डर देने के पूर्व संस्था ने ठेकेदार से अनुबंध किया या नहीं तथा उसकी प्रतिभूति प्राप्त की है?	**संस्था द्वारा अंकेक्षण वर्ष में विकास कार्य नहीं कराया गया है।**
	10. ठेकेदार के अनुबंध व शर्तो में संस्था के हित के विरूद्ध शर्त तो नहीं है।	**संस्था द्वारा अंकेक्षण वर्ष में विकास कार्य नहीं कराया गया है।**
25	**माप पुस्तिका (थम को)**	
	संस्था की समस्त विकास कार्य संबंधित माप पुस्तिका का निरीक्षण कर 50 प्रतिशत गणितीय परीक्षण करें। इस बात की पुष्टि करें कि माप पुस्तक लोक निर्माण विभाग का संहिता अनुरूप प्रयुक्त की गई है। कटिंग ओव्हर रायटिंग आदि पर पृथक टीप दें।	**संस्था द्वारा अंकेक्षण वर्ष में विकास कार्य नहीं कराया गया है।**
26	म.प्र. सह. समिति अधिनियम की धारा 47 के अनुसार	
	1. क्या समिति ने अभिदाय (शुल्क) रूपये 500/– प्रतिवर्ष की राशि जमा करा दी है? यदि हाँ तो जमा की दिनांक एवं राशि का विवरण।	**दिनांक 20.12.2018 को रसीद क्रमांक 13798 द्वारा 5000/– रूपये वर्ष 2020–21 से 2029–30 तक अभिदाय की राशि जमा कराई गई है।**
	2. यदि सदस्यता अभिदाय की राशि बकाया है तो राशि कब से और कुल कितना बकाया है। (स्पष्ट अंकित करें)	**वित्तीय पत्रकों के अनुसार कोई राशि देना शेष नहीं है।**
	3. बकाया सदस्यता अभिदाय की राशि का पूर्व वर्षो के वित्तीय पत्रकों में देना दर्शाया है या नहीं। यदि नहीं तो उपरोक्त कालम में दर्शाई राशि अंकेक्षण वर्ष के वित्तीय पत्रकों में जिला सह. संघ को देना दर्शाया जाये।	**अंकेक्षण वर्ष में कोई देनदारी शेष नहीं है।**
27.	अंकेक्षण का सामान्य मत।	**अंकेक्षण आक्षेप एवं सुझाव पृथक से टीप के साथ संलग्न है।**

(बी.एल. छाबड़ा)
सहकारी निरीक्षक
सहकारिता, जिला–भोपाल

2

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

(पंजीयन क्रमांक /डी.आर.बी. /318, दिनांक 08.02.1983)

आय व्यय पत्रक वर्ष 2022-23

आय	राशि	व्यय	राशि
प्रारंभिक सिलक	402.45	सेविंग खाता को-आप. बैंक	2500.00
अमानत खाता	9845.00	सेविंग खाता म.प्र. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1474.00
बैंक ब्याज खाता	777.00	संयुक्त सेविंग खाता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1303.00
		विविध व्यय	3540.00
		टायपिंग फोटो कापी व्यय	755.00
		अंकेक्षण शुल्क	1050.00
		अंतिम सिलक	402.45
योग	**11024.45**	**योग**	**11024.245**

(बी० एल० चावडा)
सहकारी निरीक्षक

अध्यक्ष
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी
संस्था मर्यादित, भोपाल

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

(पंजीयन क्रमांक /डी.आर.बी. /318, दिनांक 08.02.1983)

लाभ हानि पत्रक वर्ष 2022-23

हानि	राशि	लाभ	राशि
अंकेक्षण शुल्क	1050.00	बैंक ब्याज	777.00
विविध व्यय	3540.00	शुद्ध हानि	4568.00
टायपिंग फोटो कापी व्यय	755.00		
योग	**5345.00**	**योग**	**5345.00**

(बी० एल० चावडा)
सहकारी निरीक्षक

अध्यक्ष
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी
संस्था मर्यादित, भोपाल

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

(पंजीयन क्रमांक /डी.आर.बी. /318, दिनांक 08.02.1983)

स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31.03.2023 पर

देनदारी	राशि	लेनदारी	राशि
हिस्सा सदस्य	296200.00	सेविंग खाता को-ऑप. बैंक 7930.70 +2500.00 10430.70	10430.70
टेम्प्रेरी अमानत 285285.00 + 9845.00 295130.00	295130.00	सेविंग खाता म.प्र. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 16821.46 +1474.00 18295.46	18295.46
बिल्डिंग फण्ड	50000.00	संयुक्त सेविंग खाता म.प्र. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 10508.99 + 1303.00 11811.99	11811.99
रक्षित निधि	54276.95	गंदी बस्ती बोर्ड	710141.00
संचित लाभ 60542.65 – 4568.00 55974.65	55974.65	हिस्सा आवास संघ अंतिम सिलक	500.00 402.45
योग	**751581.60**	**योग**	**751581.60**

(हस्ताक्षर)
(बी०एल० इवने)
सहकारी निरीक्षक

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल
संपरीक्षा प्रतिवेदन तथा निर्गमन पत्र क्रमांक/अंके/ 27 दिनांक 3-7-23 निर्गमन/ में उल्लेखित आक्षेपों एवं निर्देशों के पालन हेतु जारी।
सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल

अंकेक्षण प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल (मध्यप्रदेश)** जिसका पंजीयन क्रमांक **डी.आर.बी./318, दिनांक 08.02.1983** है, जो म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल जिला भोपाल की मेम्बर है, के वर्ष 2022–23 के हिसाब–किताब की जांच की, पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं उपविधियां ठीक है जो संस्था के दफ्तर में रखा हैं। सभा का लेन देन सामान्यतः विधानानुसार ईमानदारी के साथ हुआ है। अंकेक्षण के दौरान जो भी कमियां, दोष एवं विधान के प्रतिकूल कार्य किये गये है, पाये गये उनका उल्लेख प्रतिवेदन में कर दिया गया है।

<u>तारीख 01.04.2022 से तारीख 31.03.2023</u>

संस्था को अंकेक्षण की दृष्टि से निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया।

प्राप्त अंकों के आधार पर
वर्गीकरण "ब" है।

अ. बहुत अच्छी है।
ब. अच्छी है। ✓
स. साधारण है।
द. खराब और असहकारी है।
इ. आर्थिक दशा बहुत नाजुक है।

तारीख ....

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें जिला भोपाल
संपरीक्षा प्रतिवेदन तथा निरीक्षण एवं जांच/अंके/ निर्गमन/ 27 दिनांक 3-7-23
में उल्लेखित आक्षेपों एवं निर्देशों के पालन हेतु जारी।
सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें जिला भोपाल

(बी.एल. छाबड़ा)
सहकारी निरीक्षक
सहकारिता, जिला–भोपाल

गृह निर्माण सहकारी समितियों के अंकेक्षण वर्गीकरण का मापदण्ड

1. गृह निर्माण सहकारी समिति के समस्त क्रियाकलापों को निम्नलिखित 8 शीर्षों (अ से ह) में विभाजित किया जायेगा और प्रत्येक शीर्ष के लिए आवंटित अधिकतम अंकों में से अंक दिये जायेंगे।

शीर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक
अ– सहकारी सक्षमता	10	07
ब– पूंजीगत ढांचा	10	07
स– वित्तीय सुदृढ़ता	15	09
द– प्रबंधकीय व्यवस्था	15	10
इ– लेखा और अभिलेख	05	04
फ– आंतरिक जांच	05	–
ग– नगदी तथा अन्य दस्तावेज की व्यवस्था	05	03
ह– संस्था के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विशेष बिन्दु	35	16
योग :	100	56

2. अंकेक्षण के समय प्रत्येक गृह निर्माण समिति को निम्न में से कोई भी वर्ग दिया जायेगा तथा वर्गीकरण हेतु अर्हकारी अंकों की संख्या निम्नानुसार होगी–

वर्ग	आवश्यक अंक
1– अ) बहुत अच्छा	**60 और ऊपर**
2– ब) अच्छा✓	50 से 59✓
3– स) उचित एवं संतोषप्रद	35 से 49
4– द) खराब और अनार्थिक	35 से नीचे

(बी.एल. छावड़ा)
सहकारी निरीक्षक
सहकारिता, जिला–भोपाल

राजदीप गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. भोपाल

आम सभा दिनांक 14/9/2022

दिनांक 14/9/2022

कार्यकारणी बैठक दिनांक एवं कुल बैठक

1	19/4/2022	
2	11/5/2022	
3	20/6/2022	
4	18/7/2022	
5	15/8/2022	
6	14/9/2022	
7	23/10/2022	
8	8/11/2022	
9	18/12/2022	
10	17/1/2023	
11	25/2/2023	
12	31/3/2023	

D.R.B. 318

Date 8-2-1983
☎ : 2879389

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति (मर्यादित) भोपाल

(म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत)

कोलार रोड, ग्राम इनायतपुर, मदर टेरेसा स्कूल के सामने, भोपाल

क्रमांक 9/2023-24

दिनांक 14/7/23

प्रति,

सहायक पंजीयक (अंके.)

सहकारी संस्थाऐं, जिला-भोपाल (म.प्र.)

विषयः- म.प्र. सहकारिता अधिनियम-1960 की धारा 61 के अंतर्गत अंकेक्षण आक्षेपों का परिशोधन कर प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भः- कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.), सहकारिता, जिला भोपाल का पत्र क्रमांक/2023-24/636 दिनांक 05.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में वर्ष 2022-23 के अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन 3 प्रतियों में संलग्न कर आपकी ओर सादर प्रेषित हैं।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

अध्यक्ष
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी
संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

14/7/23

कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)
सहकारिता, जिला-भोपाल (म.प्र.)

अध्यक्ष
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति
मर्यादित, भोपाल
रजि. क्रं. D.R.B/318 दि.08/02/1983

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

(पंजीयन क्रमांक /डी.आर.बी. /318, दिनांक 08.02.1983)

पालन प्रतिवेदन वर्ष 2022-23

क्र.	अंकेक्षण आक्षेप	पालन प्रतिवेदन	अंकेक्षक का अभिमत
1.	संस्था द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-61 के तहत पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। आलोच्य वर्ष में लिये गये अंकेक्षण आक्षेप एवं सुझाव का निराकरण कर पालन प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।	आलोच्य वर्ष में ली गई आपत्तियों का निराकरण का पालन प्रतिवेदन संस्था द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-61 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। अंकेक्षण आक्षेपों एवं सुझाव स्वयंमेव ही निराकृत हो गया है।	
2.	संस्था को सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में संस्था की वार्षिक साधारण सभा में कोई सदस्य बिना किसी विशेष कारण के अनुपस्थित रहता है तो उसके विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 72 (ख) (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही नियमानुसार की जावे।	जी दिये गये सुझाव का पालन किया जाना सुनिश्चित कर लिया गया है। संस्था भविष्य में इस बात का ध्यान रखेगी कि संस्था की वार्षिक साधारण सभा में कोई सदस्य अनुपस्थित नहीं रहे अन्यथा संस्था उनके विरूद्ध म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 72 (ख) (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित की कार्यवाही करेगी इसका विशेष ध्यान रखा जावेगा।	
3.	संस्था के समस्त सदस्यों को अंश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये हैं। अतः नियमानुसार सदस्यों को अंश प्रमाण-पत्र जारी किये जावे।	अंकेक्षक के सुझाव अनुसार जिन सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये थे उन्हें अंश प्रमाण पत्र जारी कर अंकेक्षण आक्षेप एवं सुझाव का पालन सुनिश्चित कर लिया गया है।	
4.	प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्था अभिलेख सहकारिता ई-पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।	संस्था द्वारा विभागीय पोर्टल ई-को-आपरेटिव पर सोसाइटी द्वारा ऑनलाईन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। सोसायटी का यूजर नेम तथा पासवर्ड सील बन्द लिफाफे में दिनांक 18.09.	

अध्यक्ष
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति
मर्यादित, भोपाल

क्र.	अंकेक्षण आक्षेप	पालन प्रतिवेदन	अंकेक्षक का अभिमत
		2015 को उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, भोपाल के कार्यालय में जमा करा दिया गया है तथा वर्ष समाप्ति पर संस्था से संबंधित अभिलेखों को सहकारिता पोर्टल पर अपलोड किया गया एवं लेन–देन पत्रक भी सहकारिता पोर्टल पर अपलोड किये गये हैं।	
5.	गत टीप अनुसार प्रदत्त अंशपूंजी 2,96,200/– दिखाई जा रही है जिसमें 2574 सदस्यों से 100.00 रूपये के मान 257400.00 रूपये एवं 15 सदस्यों से 500.00 रूपये के मान से 7500.00 रूपये जमा कराये गये हैं जबकि स्थिति विवरण पत्रक में जमा अंशपूंजी 296200.00 दर्शाई जा रही हैं इसके विपरीत सदस्यों द्वारा मात्र 264900.00 रूपये सूची में जमा दिखाये जा रहे है इसी प्रकार सदस्यों द्वारा धारित अंशों की संख्या 3232 गत टीप अनुसार दर्शायी गई है जबकि उपरोक्तानुसार जमा सदस्यता अंशपूंजी के मान से 2649 अंश होना चाहिये, अंतर की स्थिति स्पष्ट करें।	अंकेक्षण वर्ष में कोई नवीन सदस्यता प्रदान नहीं की गयी है और ना ही कोई अंशपूंजी जमा कराई। अंकेक्षण टीप में सदस्यता एवं अंशपूंजी संबंधी जानकारी पूर्व अंकेक्षकों द्वारा की गई है जिसका समाधान पूर्व अंकेक्षकों द्वारा किया जा चुका है। अंशपूंजी सदस्यों की संख्या के मान से ही दर्शित की गयी है। आलोच्य वर्ष के अंकेक्षक द्वारा दी गई इस आपत्ति का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है।	
6.	आलोच्य वर्ष में संस्था की सदस्यता पंजी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की गई लेकिन सदस्यता पंजी के कुछ कालम अपूर्ण पाये गये। सभी कालमों की पूर्ति की जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सदस्यों के नॉमिनी के नाम अंकित कर सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करवाये जावे।	अंकेक्षण वर्ष में कोई नवीन सदस्य नहीं बनाया गया है। पूर्व वर्षो में बनाये गये सदस्यों की पूर्ति सदस्यता पंजी में पूर्व में की गई थी एवं नॉमिनी के नाम भी अंकित किये गये थे व हस्ताक्षर भी करवाये गये थे।	
7.	संस्था द्वारा आलोच्य में किसी प्रकार का कोई विकास कार्य व अन्य कार्य नहीं किया गया है।	आलोच्य वर्ष में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया गया है पूर्व वर्ष	

अध्यक्ष
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति
मर्यादित, भोपाल
पंजि. क्रं. D.R.B/318 दि 08/02/1983

क्र.	अंकेक्षण आक्षेप	पालन प्रतिवेदन	अंकेक्षक का अभिमत
	संस्था को सुझाव दिया जाता है कि संस्था रहवासियों की सुविधा की दृष्टि से उनकी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाये।	में संस्था की कालोनी का विकास कार्य पूर्ण किया गया है। कालोनी को भविष्य में रखरखाव हेतु नगर निगम को हस्तांतरित की जा चुकी है जिसमें कालोनी के रहवासियों की मूलभूत सुविधाओं का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भी रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी न हो इसका ध्यान संस्था द्वारा भी रखा जाता है।	
8.	संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र-1 से 16 में प्रपत्र क्रमांक-15 की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	अंकेक्षण टीप के साथ प्रपत्र 01से 16 तक संलग्न किये गये है जिसमें प्रपत्र-15 में निर्धारित प्रारूप में जानकारी अंकित थी जिसे अंकेक्षक द्वारा अनदेखा किया गया है। इस आपत्ति का निराकरण स्वयमेव हो जाता है।	
9.	31 मार्च 2023 पर स्थिति विवरण पत्रक अनुसार लेनदारी मद में 500.00 रूपये म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित का अंश दर्शाया गया है संबंधित संस्था से अंश प्रमाण पत्र प्राप्त कर रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाये।	म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित से अंश प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है जो संस्था कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है।	

अध्यक्ष
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

अध्यक्ष
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति
मर्यादित, भोपाल
रजि.क्रं. D.R.B/318 दि.08/02/1983